न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 04/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री अंकुश अग्रवाल, प्रर्वतन निरीक्षक, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

मनप्रीत सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह, निवासीः– दुग्गल कलां, पटरन, पटियाला, पंजाब–147105 हाल निवासीः– मैसर्स लक्की पंजाबी ढाबा, सुरसुरा, तह0 रूपनगढ, जिला–अजमेर

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 19.04.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.2018 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा चाय नाश्ता व खाना बनाकर ग्राहको को कीमतन विक्रय किये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से घरेलू गैस सिलेण्डर संख्या एस.आर नम्बर–198560 (एचपी) मय 1 चूल्हा रेग्यूलेटर कब्जेराज लिये गये जिन्हें राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होनें पर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। उपस्थित को सुना गया। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर चाय नाश्ता व खाना तैयार करने हेतु घरेलू एल.पी.जी. का व्यवसायिक दुरूपयोग किया है, जो एल.पी.जी. आदेश 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है अतः कब्जेराज लिया गया घरेलू गैस सिलेण्डर संख्या एस.आर नम्बर– 198560 (एचपी) मय 1 चूल्हा रेग्यूलेटर राजसात फरमाया जावें ।

अप्रार्थी का जवाब कथन है कि रसद विभाग के निरीक्षण के समय अप्रार्थी ने घरेलू आवश्यकता हेतु घरेलू गैस सिलेण्डर अपने ढाबे पर लाकर रखा था, जिसे घरेलू आवश्यकता हेतु घर भिजवाना था। अप्रार्थी द्वारा जानबूझ कर नियमो का उल्लंघन नही किया गया है, जो त्रुटि हुई वह सद्भाविक त्रुटि है एवं क्षमा किये जाने योग्य है। अप्रार्थी भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नही करेगा। अतः कब्जेराज लिया गया घरेलू गैस सिलेण्डर वापस दिलवाये जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

19/04/18

जिला कलक्टर
अजमेर

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू एल.पी.जी. का व्यवसायिक दुरूपयोग किया है, जो एल.पी.जी. आदेश 3 (1) (C) का उल्लघंन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है अतः कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर संख्या एस. आर नम्बर– 198560 (एचपी) मय 1 चूल्हा रेग्यूलेटर को राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

19/04/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
अजमेर